न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपील संख्याः Jodhpur/225RTA/2019/139

भंवरलाल पुत्र मदाराम जाट
निवासी पूनियों की बासनी
तहसील बावडी, जिला जोधपुर

----- **अपीलाण्ट**

ब

ना

म

1. श्रीमती रुकमादेवी पत्नी बक्षीराम जाट, निवासी रॉयल्टी धर्मकांटे के सामने गली, बालसमन्द क्षेत्र, जोधपुर
2. तहसीलदार,बावडी, जिला जोधपुर

----- **रेस्पो.**

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर बावडी दिनांक 13 सितम्बर 2019 राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 94/2018 भंवरलाल बनाम रुकमादेवी व अन्य

----- 0 -----

उपस्थित-

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जी.आर.गोरा
रेस्पो. संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम चौधरी
रेस्पो. संख्या दो की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी

नि र्ण य

दिनांक : 14 अक्तूबर 2019

न्यायालय सहायक कलेक्टर बावडी द्वारा राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 94/2018 भंवरलाल बनाम श्रीमती रुकमादेवी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13 सितम्बर 2019 के खिलाफ अपीलाण्ट ने राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत यह अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 23 सितम्बर 2019 को पेश की है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम पूनियों की बासनी तहसील बावडी स्थित आराजी खसरा संख्या 3082 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 3092 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 3106 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 3183 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 1190 रकबा 71 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा संख्या 1190/1 रकबा 04 बिस्वा वादी-अपीलाण्ट एवं प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक की पुश्तैनी संयुक्त कब्जे काश्त एवं उनके पूर्व-पुरुष मेघाराम की खातेदारी की होना जाहिर करते हुए तथा मेघाराम व मेघाराम की पत्नी बरजू के दो पुत्रियारुकमा (रेस्पो. संख्या एक) और अपीलाण्ट भंवरलाल तथा उसकी बहनों सीता, चुकी व बबली की माता केली (फौत) होना जाहिर करते हुए प्रार्थी-अपीलाण्ट ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया और वर्णित किया कि मेघाराम के देहान्त के बाद फौतेदगी नामान्तरण भरे जाते समय गलत सूचना के कारण नामान्तरकरण में गलत प्रविष्टि हो गयी, जिसे हटाने का प्रार्थी अधिकारी है। प्रार्थनापत्र में यह भी स्पष्ट किया कि खाता संख्या 78 में प्रार्थी की माता का 1/3 हिस्सा एवं खाता संख्या 49 में प्रार्थी की माता का 1/12 हिस्सा बनता है, मौके पर सभी पक्षकारान अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज है, राजस्व रिकार्ड में गलत इंद्राजात के कारण अप्रार्थीगण के मन में सम्भवत लालच आ गया है और उनके द्वारा रिकार्ड दुरुस्ती में सहयोग नहीं किया जा रहा है, अतः इस संबंध में प्रार्थी द्वारा नियमित वाद आदि की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें समय लगने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए आलोच्य प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदेश दिनांक 13 सितम्बर 2019 को खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

अपील दर्ज की गयी और दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के बिना ही अपील के गुणावगुण पर बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता-अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट का मौके पर अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है मगर रेस्पो. चालाकीपूर्ण ढंग से उसे मौके से बेदखल करने पर आमादा है, रेस्पो. वादग्रस्त आराजियात को आगे बेचान/हस्तान्तरण करना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी-अपीलाण्ट के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों पर गौर तक नहीं किया गया और सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए उक्त प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया। वकील अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि पूर्व में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 53 के तहत राजस्व वाद संख्या 98/1971 मेघाराम बनाम दीपाराम आराजी खसरा संख्या 3183 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 2929 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 3090 रकबा 18 बीघा, खसरा संख्या 3106 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा व खसरा संख्या 3092 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 52 बीघा 9 बिस्वा बाबत न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बिलाडा के समक्ष चला, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 22 सितम्बर 1971 की इजराय में म्युटेशन अकेली बरजू के नाम भर दिया गया, जबकि म्युटेशन बरजू, केली, रूकमा के नाम भरा जाना चाहिये था। बरजू द्वारा इनमें से आराजी खसरा संख्या 3092 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 3106 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, एवं खसरा संख्या 3183 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा कुंल 25 बीघा 04 बिस्वा तथा एक अन्य खसरा संख्या 3082 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा मिलाते हुए कुल 32 बीघा 15 बिस्वा भूमि बख्शीश कर दी, और बकाया बची भूमि को बेचान

कर दिया। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी बताया कि कालान्तर में केली ने एक दावा रुकमा के खिलाफ किया जो मूल दावा अदम पैरवी में खारिज हो गया। अंत में कथन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे और मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात बाबत मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किये जावे।

जबाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी अपीलाण्ट के पक्ष में नहीं है। राजस्व रिकार्ड रेस्पो. के पक्ष में है। मेघाराम बनाम दीपाराम उनवानी वाद में जारी डिक्री की पालना में जो म्युटेशन भरा गया, वह बरजू के नाम सही भरा गया, क्योंकि म्युटेशन भरे जाने के समय तक मेघाराम का देहान्त हो चुका था, और बरजू उक्त मेघाराम की पत्नी होने के कारण म्युटेशन में उसका नाम सही दर्ज हुआ है। बरजू द्वारा बख्शीशनामा अपनी छोटी बेटी रुकमा के नाम निष्पादित किया गया, अपीलाण्ट रुकमा की बडी बेटी का पुत्र है। वादग्रस्त आराजियात निर्विवादित रुप तौर पर पुश्तैनी भूमि है। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा की गयी उपरोक्त बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। अपील स्तर पर रेस्पो. की ओर से प्रपत्र तीन के संलग्न वादग्रस्त आराजियात से संबंधित नकल जमाबंदी संवत 2061-2064,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नकल खसरा गिरदावरी, नकल बख्शीशनामा पेश किये गये, जिनका भी अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजियात का मूल खातेदार मेघाराम होने तथा अपीलाण्ट उक्त मेघाराम की पुत्री केली का पुत्र होने तथा रेस्पो. रूकमा मेघाराम की पुत्री होने के संबंध में भी पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इतना ही नहीं, वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होने बाबत भी पक्षकारान के मध्य विवाद नहीं है। मूल विवाद पक्षकारान के मध्य परस्पर वादग्रस्त आराजियात में हिस्से के अनुपात को लेकर है। वस्तुतः किस पक्षकार का वादग्रस्त आराजियात में कितना हिस्सा बनता है, यह बिन्दु मूल वाद में दावे एवं जबाब के आधार पर तनकियात कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करने के बाद ही विनिश्चित किया जा सकेगा। वर्तमान अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित अपील स्तर पर इस बिन्दु बाबत किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना प्रासंगिक नहीं है। मगर तब तक पक्षकारान के हितों की सुरक्षार्थ वाद की विषय-वस्तु अर्थात वादग्रस्त आराजियात को संरक्षित किया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 सितम्बर 2019 अपास्त किया जाता है तथा उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात बाबत मौके एवं राजस्व रिकार्ड के आज दिनांक की स्थिति यथांवत बनाये रखी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर